101/298

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

A3/1

<u>मुन्तकिली प्रकरण सं0 101 / 2018 (RCMS 2018/)</u> अनवानी 1.सतिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह, 2.शमिन्द्र कौर पुत्री श्री गुरजन्ट सिंह, 3. गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह जाजि जटसिख निवासीयान गांव करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> 1.दर्शन कौर उर्फ अरविन्द्र कौर पत्नि दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, 2. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार, सादुलशहर

<u>31.10.2018</u>

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुभाष मिढा उपस्थित हैं।, उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1. दर्शन कौर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर न्यायालय में एक प्रकरण संख्या अनवानी दर्शन कौर बनाम रविन्द्र कौर वगैरा अन्तर्गत धारा 251 आरटीए का इस आश्य का प्रस्तुत किया कि चक 8 के0आ0डब्ल्यू0 के खाता संख्या 44/42 मु0 नं0 39 के किला नं0 16 ता 20 में 1.265 हैक्टेयर, खाता संख्या 57/56 राजेन्द्र कौर पत्नी गुरजन्ट सिंह के नाम से मु0 नं0 39 किला नं0 1 ता 5 में 1.265 हैक्टेयर, खाता संख्या 56/55 राजेन्द्र कौर पुत्री अवतार सिंह मु0 नं0 39 किला नं0 6 ता 10 में 1.265 हैक्टेयर दर्ज है। प्रार्थीया के हक व हिस्सा में 8 के0आ0डब्ल्यू0 खाता संख्या 42/37 पत्थर नम्बर 90/123 मु0 नं0 39 किला नं0 16 ता 20 कुल 1.265 हैक्टेयर में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृतशुदा नही है जिस कारण उसे अपने रकबा में आने–जाने की परेशानी होती है। प्रार्थीया काफी समय से अप्रार्थी संख्या 1/1, से 1/3 की भूमि चक 8 के0आर0डब्ल्यू0 मु0 नं0 39 के किला नं0 1, 10, 11 के पश्चिम दिशा से किला नं0 1 के उत्तर में स्थित सरकारी रास्ता से उत्तर से दक्षिण आती है। रास्ता स्वीकृत न होने के कारण अप्रार्थीगण रूकावट पैदा करते है, का कथन कर रास्ता चक 8 के0आर0डब्ल्यू0 खाता संख्या 42/37 पत्थर नम्बर 90/123 मु0 नं0 39 के किला नं0 16, 17, 18, 19 व 20 कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी में आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 की किला नं0 1, 10, 11 में पश्चिम दिशा, उत्तर से दक्षिण की ओर 7–1 बिस्वा रास्ता मंजूर किया जावे।

31/10

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

10
2018 जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसमें यह कथन किया कि चक 9 के0आर0डब्ल्यू0 व 8 के0आर0डब्ल्यू0 के रकबा की बाउण्ड्री चिपती हुई है तथा अप्रार्थीया अपने रकबा में 9 के0आर0डब्लयू0 के मु0नं0 18 व 34 जो चक 8 के0आर0डब्ल्यू0 व मु0नं0 38 व 39 से चिपते हुए है खाला के साथ से अपने रकबा में आ जा रही है तथा कभी भी मु0नं0 39 के किला नं0 1, 10, 11 में से नही आ जा रही है तथा जबरदस्ती रास्ता लेना चाहती है जबकि उसे कोई रास्ता की आवश्यकता नही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीया द्वारा पीठासीन अधिकारी पर दवाब बना रखा है जिस कारण वे प्रकरण में 10–10 दिन की तारीख पेशियां दे रहे है जबकि अन्य प्रकरणों में लम्बी तारीख दी जा रही है और जब 20.09.2018 को प्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया तो उन्हे कहा गया कि आज ही बहस करो उन्हे इस प्रकरण का निर्णय आज ही करना है और प्रार्थीया के अधिवक्ता के बहस के लिए बडी मुश्किल से समय दिया। प्रार्थी अभिभाष का आगे यह भी कथन है कि दिनांक 25.09.2018 को गांव में ऐलानिया कहां कि उसने उपखण्ड अधिकारी पर दवाब डलवा दिया है इसलिए निर्णय उसके पक्ष में ही होगा। इसप्रकार प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण में निष्पक्ष न्याय मिलने की सम्भावना नही है इसलिए उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्याय में मुन्तकिल किया जावे।

मैने प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री सुभाष मिढा द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त तर्कों पर मनन किया और उनके द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लंबित प्रकरण अनवानी दर्शन कौर बनाम राजेन्द्र कौर वगैरा अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.09.2018 को पेश किया है। इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण के गुण दोष पर कोई विचार नहीं करना है कि आया प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकतृ करने योग्य है अथवा नही ? **केवल मात्र यह देखना है कि उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय से किसी सक्षम न्यायालय में निष्पक्ष न्याय की दृष्टि से मुंतकिल किये जाने योग्य है अथवा नहीं?**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

101/2018 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर A3/3

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीया संख्या 1 का पीठासीन अधिकारी पर दबाब होने का आरोप लगाया गया है और जो एक साधारण प्रकृति का है मुकद्दमा मंतकिली के लिए कोई ऐसा ठोस आधार होना आवश्यक है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि अगर वास्तव में प्रकरण को मुंतकिल नहीं किया गया तो प्रार्थी के साथ घोर अन्याय होगा। ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय से मुन्तकिल किया जाना उचित प्रतीत हो। प्रार्थी का दूसरा आरोप है कि प्रकरण में तारीख पेशियां नजदीक दी जा रही है नजदीक की तारीख पेशी देना कोई मुकद्दमा मंतकिली का आधार नही हो सकता क्योकि रास्ता सबंधी प्रकरण आवश्यक प्रकृति के है ओर ऐसे प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण होना आवश्यक है इसलिए उक्त आरोप भी मुकद्दमा मंतकिली का आधार नही हो सकता। अतः प्रार्थीगण मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर